

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-11
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: 90A/JDA/2026-27/100909

दिनांक: 07/08/2026

लोक सूचना

श्री RAM CHANDRA पुत्र श्री SHRI KRISHAN जाति JAT निवासी FAGODIYO KI DHANI AJAIRAJPURA JAIPUR

श्री LADU RAM पुत्र श्री SHRI KRISHAN JAT जाति JAT निवासी FAGODIYO KI DHANI AJAIRAJPURA JAIPUR

श्री LALA RAM JAT पुत्र श्री SHRI KRISHAN JAT जाति JAT निवासी FAGODIYO KI DHANI AJAIRAJPURA JAIPUR

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का फार्म हाउस प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (हैक्टे.)	निर्मित क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1.	सिराणी मय गणपतपुरा, साँगानेर (जयपुर)	1.) रामचन्द्र पुत्र श्रीकिशन हिस्सा 1 / 3 जाति जाट सा. अजयराजपुरा खातेदार हिस्सा 1 / 3 (पूर्ण खाता) यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शाखा कलवाडा 2.) लादूराम पुत्र श्रीकिशन हिस्सा 1 / 3 जाति जाट सा. अजयराजपुरा खातेदार हिस्सा 1 / 3 (पूर्ण खाता) यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शाखा कलवाडा 3.) लालाराम पुत्र श्रीकिशन हिस्सा 1 / 3 जाति जाट सा. अजयराजपुरा खातेदार हिस्सा 1 / 3 (पूर्ण खाता) यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शाखा कलवाडा	932	0.540000	0.54
2.	सिराणी मय गणपतपुरा, साँगानेर	1.) रामचन्द्र पुत्र श्रीकिशन हिस्सा 1 / 3	935	0.060000	0.06

	(जयपुर)	जाति जाट सा. अजयराजपुरा खातेदार हिस्सा 1 / 3 (पूर्ण खाता) यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शाखा कलवाडा 2.) लादूराम पुत्र श्रीकिशन हिस्सा 1 / 3 जाति जाट सा. अजयराजपुरा खातेदार हिस्सा 1 / 3 (पूर्ण खाता) यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शाखा कलवाडा 3.) लालाराम पुत्र श्रीकिशन हिस्सा 1 / 3 जाति जाट सा. अजयराजपुरा खातेदार हिस्सा 1 / 3 (पूर्ण खाता) यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शाखा कलवाडा			
कुल					0.6

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी **SSO ID** से लॉग इन कर **JDA** के **90-A** मॉड्यूल अथवा जे.डी.ए. पोर्टल (<https://jda.rajasthan.gov.in/>) पर "**विज्ञप्ति के विरुद्ध अपनी आपत्ति दर्ज करें**।" Option में जाकर जारी सार्वजनिक सूचना के विरुद्ध अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज कराएं ।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज **07-08-2026** को जारी की गयी।

Newspaper name (as per roster)
RAJASTHAN PATRIKA & DAINIK NAVAJYOTI

प्राधिकृत अधिकारी जोन-11
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

